



फर्द अहकाम

.....बनाम.....  
कृष्ण कुमार डॉ० श्रीश्यामा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड  
 केस संख्या 25 / 2023 पुनर्निर्देश 31/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर <u>डॉ. लखर</u> से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>25.10.23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</p>	31/9/23
25/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>अतिरिक्त न्यायालय</u> दिनांक <u>31/10/23</u> को पेश है।</p>	
31/10/24	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी आज अवकाश / दौरे / मिटिंग / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावल: पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>6/3/24</u> को पेश हो।</p>	
6/3/24	<p style="text-align: center;"><b>रीडर</b></p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं व उनके सचिव/पुत्र कोर्ट उपस्थित नहीं है। उक्त का कथोक्त जिला कलक्टर प्रार्थी ने सचिनस्थ न्यायालय के तलासीन <u>21/10/23</u> अधिसूचना <u>20</u> श्रीश्यामा से नाम नही मिलने व राजस्थान सरकार से निर्देश काने पर यह चीजों पर मुं जिला कलक्टर पेश किया है लेकिन तलासीन पीठासीन सचिव न्यायालय स्थानान्तरण होने से यह चीजों पर सादरीत हो जाता है। कतः यह के तलासीन प्रार्थी पर सचिनस्थ न्यायालय के तलासीन पीठासीन सचिव/पुत्र को सादरीत हो जाने से उपस्थित जिला कलक्टर प्रार्थी को निर्देश की उपस्थित जिला कलक्टर पत्रावली पेश होकर सादरीत हो जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</p>	